

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-97/2021-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० निर्माता अजली, दंत चिकित्सक, अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालंदा द्वारा दिनांक 18.12.2023 से 15.02.2024 तक कुल 60(साठ) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 248 तथा वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-28(25), दिनांक 03.01.2025 के आलोक में उपार्जित अवकाश अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(विद्यानन्द जमादार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक-2/एल-97/2021- 611(2) पटना, दिनांक 16/4 /2025
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालंदा/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, नालंदा/ डा० निर्माता अजली, दंत चिकित्सक, अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।